ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14 Vol-5, No.-II,PP-1-3, YEAR-Dec.2016

स्वतंत्र भारत मे पंचायती राज व्यवस्था का मूल्यांकन

❑ अनूप कुमार गुप्ता

सारांश

आज कल सरकार गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनायें संचालित कर रही है। यहाँ तक की गाँव की सत्ता गाँव के ही लोगों को दे रही है। आप अपने गाँव का विकास किस तरह से करना चाहते हैं। इसका निर्णय भी गांव के ऊपर छोड़ दिया गया है। ग्राम सभा में प्रस्ताव लाकर विकास की रूपरेखा बनाई जा सकती है और अनुदान प्राप्त किया जा सकता है, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है।

आधुनिक युग में सर्वप्रथम राष्ट्रीय काँग्रेस ने ही तात्कालीन ब्रिटिश सरकार का ध्यान ग्राम पंचायत की ओर आकर्षित किया। सन् 1948 के फरवरी में भारतीय अधिनियम का मसविदा पारित किया गया जिसमें पंचायत का नाम तक नहीं था उससे क्षुब्ध होकर श्री मन्नारायण ने लिखा है कि ''जैसा कह चुके है कि संविधान ग्राम पंचायतों के केन्द्रीयकरण हेतु पुरानी क्षुधा के स्थान पर उन्नतिशील विकेन्द्रीकरण की नीव बनाते हुए भी कोई निर्देश नही करता है, यद्यपि डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष अवश्य थे तथापि उन्होंने ग्राम पंचायत का घोर विरोध किया था उनका विचार था कि ग्रामीण जगत सर्वथा व्यर्थ है तथा इसका देश के विकास और उत्थान में कोई भी योगदान नही है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर के इस मत का घोर विरोध हुआ और अधिकाधिक सदस्यों ने ग्राम पंचायत के मत में अपना समर्थन दिया। उसके फलस्वरूप 22 नवम्बर 1948 को संविधान सभा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार–विमर्श करते समय के संस्थानम महोदय ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि इन विभिन्न तत्वों में वस्तुतः एक ऐसा तत्व भी अवश्य होना चाहिए जो कि राज्यों में गाँव पंचायतों का संगठन करे तथा उनको कुछ ऐसे अधिकार भी प्रदान करे कि वे स्वतंत्र शासन का प्रबंध सुचारू रूप से कर सके। के संस्थानम के इस प्रस्ताव को सेठ गोविन्द दास, सुरेन्द्र मोहन घोष तथा टी. प्रकासम जैसे महानुभावों का अनुमोदन प्राप्त था जिसके परिणाम स्वरूप डॉ. अम्बेडकर को यह प्रस्ताव स्वीकृत करना पड़ा। इस प्रकार इस प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत यह प्राविधान किया गया कि ''राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा और उनको ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार भी प्रदान करेगा जो उन्हे स्वायत शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवष्यक हो।

भारत में सन् 1947 में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने ही ग्राम पंचायतों के विकास हेतु एक अधिनियम पारित किया। इस नियम के अंतर्गत 1948 में उत्तर प्रदेष में ग्राम पंचायतों के चुनाव भी सम्पन्न हुए और इस प्रकार अतीत की ग्राम पंचायतो को स्वाधीन भारत में पुनः एक सम्मानीय स्थान प्राप्त हुआ।

संविधान निर्माण के 6 वर्शो बाद ही ग्राम पंचायतों ने कल्पनातीत सफलता प्राप्त किया और उसी मध्यावधि में ही सम्पूर्ण देश में लगभग 50 प्रतिशत गाँवों में ग्राम पंचायतें क्रियाशील हो गयी। काँग्रेस पार्टी ने इससे प्रेरित होकर इसकी उन्नति

शोध छात्रा–राजनीतिशास्त्र, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि.,चित्रकूट सतना (म.प्र.)

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

हेतु एक विशेष समिति का गठन किया जिसके प्रमुख सदस्यों में डॉ.के.एन.काटजू, श्री जगजीवन राम, श्री गुलजारी लाल नन्दा, ज्ञानी गुरूमुख सिंह, श्री केशव देव मालवीय और श्री मन्नारायण आदि प्रमुख थे। इस समिति ने इसके उन्नयन हेतु कई बैठकें की तथा 19 जुलाई 1954 को अपनी एक विज्ञप्ति प्रकाशित करके निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए।

1. ग्राम पंचायतों के विकास को समुचित प्रोत्साहन दिया जाये और जनमानस को प्रशासनीय कार्यो में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सामुदायिक स्तर पर योग्य भी बनाया जाय।
2. भारतीय संविधान में निहित विभिन्न लक्ष्यों एवं अदेश्यों की प्राप्ति हेतु ग्राम पंचायतों को केवल स्थानीय स्वायत शासन की इकाइयों के रूप में ही क्रियाशील नही रहना चाहिए अपितु उनको सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन के विकास और पूर्ण रोजगार दिलाने वाली महत्वपूर्ण संस्था के रूप में भी क्रियाशील होना चाहिए।
3. भारतीय संविधान में निहित मूल अधिकार तभी प्राप्त होंगे जबकि ग्राम पंचायत संस्था द्वारा आर्थिक और राजनैतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण सुव्यवस्थित तथा गंभीर रूप से नियोजित किया जाय।
4. राज्य को यह भी प्रयास करना चाहिए कि ग्रामों में कर की वसूली उधार तथा व्यापार आदि के कार्य ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन द्वारा ही सम्पन्न हो।
5. ग्राम पंचायतों को ऐसे प्रजातन्त्र का विकास करना चाहिए जिसमें एक ऐसे नेतृत्व का विकास हो जो सामुदायिक और ग्रामीण तत्वों का प्रतिनिधित्व करे।
6. ग्राम पंचायतों को यथा सम्भव दलबन्दी और दलगत राजनीति से सर्वथा पृथक रखा जाय जिससे उनकी एकता बनी रहे।
7. ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में सर्वसम्मति को ही विशेष महत्व दिया जाय।
8. ग्राम पंचायतों के आदर्श विकास का कार्य स्थानीय प्रथा परम्पराओं और आदर्शानुसार राज्यों पर ही छोड़ दिया जाय।
9. ग्राम पंचायतों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर सम्पन्न किया जाय एक ग्राम के सभी वयस्क लोगों को एक गाम सभा का निर्माण करना चाहिए तथा ग्राम पंचायत का निर्वाचन उसी ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या ग्राम की आबादी के अनुपातानुसार ही हो तथा इसमें जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित और आदिम जातियों का स्थान भी सुरक्षित किया जाय।
10. ग्राम पंचायतों की चुनाव पद्वति यथा सम्भव सरलतम तरीके से होनी चाहिए और आवश्यकतानुसार उसमें गुप्त मतदान प्रथा का भी प्रयोग होना चाहिए।
11. ग्राम पंचायत संगठन की इकाई एक ग्राम होना चाहिए जिसकी जनसंख्या 1500 से 2000 तक ही हो।
12. ग्राम पंचायतों के क्रिया कलापों के पर्याप्त निरीक्षण हेतु कोई–न–कोई व्यवस्था बनायी जानी चाहिए।
13. ग्राम पंचायतों को नागरिक, सामाजिक, आर्थिक तथा न्यायिक आदि से सम्बन्धित कार्य भी करना चाहिए।
14. ग्राम पंचायतों का गठन और कार्य न्यास पंचायतों से सर्वथा अलग होना चाहिए।
15. भारतीय योजना निर्माण में ग्राम पंचायतों को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाना चाहिए क्योंकि योजनाएँ ग्रामोत्थान पर ही निर्भर है।
16. कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु एक विशेष योजना का निर्माण होना चाहिए जिससे बेरोजगार युवाओं को लाभ होगा।
17. सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों के कार्य एवं संगठन एक दूसरे से सर्वथा पष्थक होने चाहिए।

ISSN No. 2347-2944,RNI TITLED No. UPBIL04292
RNI REG. No. UPBIL/2014/66218, SOCLREG. No. 561/2013-14

18. ग्राम पंचायतों को लगान आदि के कर वसूल करने का अधिकार भी प्राप्त होना चाहिए इससे प्राप्त कुल आय का चौथाई हिस्सा ग्राम पंचायतो के नित्य प्रति के व्यय के लिए मिलना चाहिए। इसका यदि सफल संचालन हो तो इनको भूमिकर, परिवहनकर, व्यवस्थाकर, चाय आदि की दुकानों पर कर तथा हाट बाजार मेले आदि की व्यवस्था से भी कर वसूली का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।

इन सुझावों पर कितना अमल हुआ तथा कितना लाभ हुआ इसका मूल्यांकन उतना महत्वपूर्ण नही है क्योंकि आज की स्थिति को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इन पंचायतों ने उतना प्रभावपूर्ण कार्य नहीं किया अथवा इनको उतने साधन प्राप्त नहीं हो सके जिससे ग्रामोत्थान सम्भव हो सके। 1959 में पंचायतीराज अथवा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई जोकि स्थानीय स्वायत षासन की त्रिस्तरीय रचना पर आधारित थी। ग्राम, ब्लाक तथा जिला। इस संगठन के अनुसार सम्पूर्ण देश में ग्राम स्तर पर पंचायतों का, खण्ड स्तर पर पंचायत समितियों का तथा जिला स्तर पर जिला परिशद्ों का गठन हो। विभिन्न प्रकार की सभी पंचायतें प्रत्यक्षतया ग्रामवासियों के द्वारा लोकतांत्रिक पद्वति से चुनी जाती है। तथा इन पंचायतों का प्रमुख उत्तरदायित्व कृषि उत्पादन ग्रामोद्योग मातृत्व एवं शिशु कल्याण चिकित्सीय सुविधाओं की व्यवस्था ग्राम परिधि में सड़कों, कुओं, नालियों, तालाबों की मरम्मत और देख–रेख आदि करते रहना है। जबकि कुछ स्थानों पर यह पंचायतें प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था करना, लगान की वसूली करना और ग्रामीण समंको का संग्रह करना आदि कार्य को सम्पन्न करती है। पंचायत समिति में ग्राम पंचायत के चुने हुए सरपंच, महिलायें, पिछडी तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं जबकि जिला परिषद्ों में जिले के संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य और समस्त पंचायत समितियों के अध्यक्षगण भी सम्मिलित होते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. Sharma, U. (1997), Public Administration, Altanitic Publisher and distribution, New Delhi.
2. Report of Central Councilof Local Self Government, (1959), New Delhi.
3. Nandlal, (2000) District Government a historical step of M.P. Government, Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot (M.P.)
Government of India Act (1919).